बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के अधीन दो योजनाएं यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" चल रही है।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बिहार

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को समूचित चिकित्सा एवं ईलाज हेतु राज्य सरकार ने "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी योजना है एवं इस योजना के लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्य (जिनकी अधिकतम कुल संख्या–05 हो सकती है) होंगे। कुल बीमित राशि रूपये–30,000/– प्रति परिवार प्रति वर्ष होगी एवं बीमित परिवार के सदस्य एक वर्ष में अस्पताल में भर्ती होने की दशा में मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने की दशा में घर से अस्पताल तक जाने एवं आने के लिए प्रत्येक बार 100/– रूपये परिवहन व्यय बीमित व्यक्ति को देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा वर्ष में 1000/– रूपये होगी। स्मार्ट कार्ड के आधार पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा नगद रहित होगी। बीमित परिवारों का प्रीमियम राज्य, केन्द्र सरकार द्वारा भरा जायेगा परन्तु स्मार्ट कार्ड के लिए 30/– रूपये मात्र का भुगतान बीमित परिवार को करना होगा। इस योजना को वर्ष 2008–09 में बिहार राज्य के कुल चयनित 08 (आठ) जिलों पटना, नालंदा, गया, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में लागू कर चालू वित्तीय वर्ष–2009–10 में राज्य के शेष 30 जिलों में सरकार द्वारा लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रति स्पर्धायुक्त निविदा के आधार पर बीमा प्रदाता कम्पनीयों का चयन कर जिलों का आवंटन किया गया है।

इस योजना को लागू करने हेतु वर्ष 2008–09 में बीमा प्रदाता कम्पनी के रूप में दि ओरिएण्टल इश्यूरेंस कम्पनी लि0 का चयन खुली निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर के आधार पर किया गया था। सम्प्रति यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू है। बीमा प्रदाता के रूप में आठ जन एवं निज़ी क्षेत्र के इंश्योरेंश कम्पनी सम्बद्ध है। इस योजना का कार्यान्वयन मुख्यालय स्तर पर गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कोषांग के द्वारा किया जा रहा है एवं नोडल एजेंसी के रूप में बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, कार्यरत है।

इस योजना के कार्यान्वयन से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की स्वारथ्य समस्याओं का समुचित निदान होगा एवं चिकित्सा तथा ईलाज पर होने वाले आर्थिक व्यय के बोझ से वे मुक्त हो पायेंगे।

अभी तक कुल 1,66,13,610 बी0पी0एल0 परिवारों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जा चुका है जिसके विरूद्ध 5,47,566 लाभूकों ने योजनान्तर्गत स्वास्थ्य लाभ पाया है जिस पर बीमा कंपनी द्वारा 3,74,73,04,411 रूपये अस्पतालों को भुगतान किया गया है।

वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बजट उपबंध आवंटन एवं व्यय (लाख में) से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन

वित्त वर्ष का आवंटन	–	60 करोड़
अभी तक कितना निकासी हुआ	–	387988694
शेष राशि	–	खर्च होने की संभावना है।

2. **बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011:–** वित्तीय वर्ष 2011–12 से असंगठित क्षेत्र के कामगार एवं शिल्पकार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है । इस योजनान्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों की दुर्घटना मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 1,00,000/– (एक लाख) तथा सामान्य मृत्यु की दशा में रु0 30,000/– (तीस हजार) का अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार दुर्घटना में उनकी पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उन्हें क्रमशः रु0 75,000/– (पचहतर हजार) एवं रु0 37,500/– (सैंतीस हजार पॉच सौ) का अनुदान देय है। साथ ही दुर्घटना में घायल होने के फलस्वरूप 5 दिनों तक अस्पताल में भर्त्ती होने पर रु0 5,000/– (पॉच हजार) एवं असाध्य रोगों से ग्रस्त होने पर चिकित्सा सहायता न्यूनतम रु0 7,500/– (सात हजार पॉच सौ) एवं अधिकतम रु0 30,000/– (तीस हजार) देय है। इसके अतिरिक्त उनके दो बच्चों को कक्षा 9 से 12 एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने पर प्रतिमाह रु0 100/– (एक सौ) की दर से एक मुश्त रु0 1200/–(बारह सौ) वित्तीय सहायता दी जाती है ।

उक्त योजनान्तर्गत अभी तक 122 मृत कामगारों /शिल्पकारों के आश्रितों के लिए रु0 83,00,000/– (तेरासी लाख) मात्र विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारी को अनुदान की राशि उपलब्ध करायी गयी है ।

दिनांक 13/03/2013 को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के संवाद कक्ष में प्रेस सम्मेलन हेतु सामग्री

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
(श्रम संसाधन विभाग,बिहार)

बिहार राज्य में कृषि के बाद अधिकांश श्रमिक निर्माण के क्षेत्र में नियोजित किए जाते हैं। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों मे कार्य करना पडता है तथा कार्य पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का होता है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को अक्सर दुर्घटना का सामना करना पडता है। असंगठित निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया है।

उपरोक्त द्वितीय अधिनियम के लिए नियमावली भी केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 बनाया गया है। उपरोक्त अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के आलोक मे राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड फरवरी,2008 में बनाया गया है।

कल्याण बोर्ड द्वारा सभी प्रकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य मे लगे श्रमिक शामिल हैं जो भवन, सड़क, गली, रेलवे, हवाईपट्टी, सिंचाई, नाली निर्माण, विद्युत उत्पादन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उत्पादन एवं वितरण, जल प्रदाय, तेल एवं गैस प्रदाय,वायरलेस, रेडियो, टेलीफोन, पुल, पुलिया, टावर, कुलिंग टावर, ट्रांसमीसन टावर, ईंट भट्ठों में कार्यरत कामगार, पत्थर तोड़ने वाले कामगार हैं। परन्तु इसके अन्तर्गत मासिक वेतन पर सरकारी विभागों में कार्यरत स्थायी कामगार सम्मिलित नहीं हैं।

निर्माण श्रमिकों के लिए 'सेस' संग्रह का अधिकार राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड को दिया गया है। 'सेस' संग्रह द्वारा प्राप्त राशि से निर्माण श्रमिकों के लिए चिकित्सा सहायता,प्रसूति सहायता,शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता,विवाह सहायता,दुर्घटना अनुदान,दाह संस्कार हेतु सहायता, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, मकान मरम्मति अथवा निर्माण तथा सायकिल एवं औजार खरीदने हेतु अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। निधि का संग्रह सभी निर्माण कार्य कराने वाले विभागों/प्रतिष्ठानों से कुल लागत व्यय का एक प्रतिशत 'सेस' संग्रहित किया जाता है।

बिहार राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन 25 जनवरी,2010 से प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न है:-

योजना	देय लाभ	किन्हें लाभ देय है,
1. बिहार राज्य शताब्दी वर्ष भवन निर्माण, औजार तथा साइकिल क्रय हेतु विशेष अनुदान योजना	– 15,000/रू0 (पजीयन काल में मात्र एक बार)	– पंजीकृत कामगार तथा एक वर्ष की सदस्यता
2. मातृत्व लाभ	– 2,000/रू0	–पंजीकृत,महिला कामगार
3. मृत्यु हित लाभ	– 15,000/रू0 सामान्य मृत्यु 50,000/रू0 दुर्घटना में मृत्यु	–सदस्यता
4. दाह संस्कार सहायता	– 1,000/रू0	–पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित
5. विवाह सहायता (दो पुत्री के लिये)	– 2,000/रू0	–तीन वर्ष की सदस्यता
6. पेंशन	– 150/रू0 प्रतिमाह	60 वर्ष की आयु के पश्चात
7. परिवार पेंशन	– पेंशन का 50%	–पेंशनर की मृत्यु के पश्चात जीवित पति/पत्नी को
8. विकलांगता पेंशन	– 150/रू0 प्रतिमाह	–लकवा, कोढ़, टी0बी0, दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांग होने पर
9. स्वास्थ्य सहायता	– आर0एस0बी0वाई स्कीम के तहत 30,000/रू0 की चिकित्सा सहायता एवं कल्याण बोर्ड द्वारा 1,000/–रू0 की चिकित्सा सहायता।	–सदस्यता

वर्ष 2011–12 में कल्याण बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां :

- **अनुदान योजनाः–** बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,श्रम ससाधन विभाग द्वारा राज्य गठन के शताब्दी वर्ष में 31, अगस्त 2011 को एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिये भवन निर्माण,औजार एवं सायकिल क्रय हेतु प्रति कामगार 15,000/–रु0 की दर से अनुदान योजना को आरम्भ किया गया था। इस योजना से कुल 10,786 कामगार लाभान्वित हुए हैं तथा इसके अन्तर्गत अब तक कुल 16,17,90,000.00(सोलह करोड सत्रह लाख नब्बे हजार रूपये) व्यय किया गया है।
- अबतक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में बिहार के विभिन्न जिलों में लगभग 25,000 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है।
- कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012–13 मे मृत्युहित लाभ योजनांतर्गत 15,000/– रूपए प्रति कामगार की दर से अब तक 45 मृत्युहित लाभ तथा 1,000/– की दर से 42 दाह संस्कार सहायता स्वीकृत किया गया है।
- कल्याणकारी योजनाओं को चलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में 50 करोड 'सेस' संग्रह करने के लक्ष्य के विरूद्ध फरवरी,2013 माह तक लगभग 88 करोड रूपए 'सेस' संग्रह किया गया है। इस प्रकार बोर्ड गठन से अबतक लगभग 248 करोड रूपए सेस का संग्रह किया गया है।
- कल्याणकारी कार्यक्रमों को और उपयोगी बनाने हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली,2005 में संशोधन प्रस्ताव विधि विभाग के विचारार्थ भेजा गया है।

- **वित्तीय वर्ष 2013–14 का भावी कार्यक्रमः–**

  - वित्तीय वर्ष 2013–14 में लगभग 50,000 श्रमिकों को बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकरण का लक्ष्य है जिन्हें बोर्ड द्वारा सचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
  - निर्माण कामगारों की कल्याणकारी योजनाओं को चलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 120.00 करोड रूपये 'सेस' संग्रह करने का लक्ष्य है।
  - बोर्ड में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जायेगा।
  - बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली में संशोधन कर प्रायः सभी कल्याणकारी योजनाएँ में आर्थिक लाभ की राशि बढायी जायेगी। चिकित्सा सहायता योजना में मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता योजना के समकक्ष लाभ दिया जायेगा।
  - श्रमिकों के दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण तथा उनके बच्चों को शिक्षा सहायता योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

11.3.2013

सचिव

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।